न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 58/2020

–: प्रार्थीगण :–

1. कन्हैयालाल शर्मा
2. रमेश शर्मा
3. राजेन्द्र जोशी
4. महेन्द्र कुमार जोशी
5. पुखराज
6. सुखदेव सभी पिसरान हेमाराम जातियान ब्राह्मण निवासी हीरादेसर तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. मोटाराम
2. उकाराम पिसरान बस्तीराम
3. हरीराम
4. लेखराज
5. प्रकाशराम
6. बाबूलाल
7. धर्माराम पिसरान मोहनराम जातियान ब्राह्मण
8. राजा पत्नी मोहनराम
9. भंवरलाल
10. पुखराज
11. दुर्गाराम पिता शंकरलाल
12. ढगलाई पत्नी शंकरलाल सभी जातियान ब्राह्मण निवासी उस्तरां
13. पन्नाराम पुत्र मोटाराम
14. मानाराम पुत्र पन्नाराम
15. रामदीन पुत्र घेवरराम जातियान जाट निवासी हीरादेसर
16. गीता पत्नी पन्नाराम
17. नेनी पत्नी कालुराम
18. हवा पत्नी मालमचन्द
19. प्रेम पत्नी बजरंगलाल जातियान ब्राह्मण निवासी उस्तरां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
20. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:55:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

Scanned with CamScanner

–:: निर्णय ::– दिनॉक:–22/02/2021

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थीगण ग्राम हीरादेसर के मूल निवासी है तथा इनकी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि राजस्व ग्राम उस्तरां में खसरा नं. 983/2 रकबा 14–03 बीघा आई हुई है, जिसके पडोस निम्न प्रकार है:–

उत्तर में – ख.नं. 983/3 आया हुआ है।
दक्षिण में – ख.नं. 965 व 966
पूर्व में – ख.नं. 983
पश्चिम में – ख.नं. 983/2 आया हुआ है,

इस प्रकार उपरोक्त पडौसियान के बीच में प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि आयी हुई है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि के फसल की रक्षा हेतु पत्थरगढी करवाकर कंटीले तार खींचवाना चाहते है इसलिये प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 20 भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ़ के यहां आवेदन कर खातेदारी भूमि का पेमाईश दिनांक 18.06.2020 को प्रार्थीगण व मौतबिरान एवं पडौसियान के अरू बरू नाप चोप कर प्रार्थीगण की भूमि की सीमा चिन्हित की गई उक्त चिन्हित सीमा पर प्रार्थीगण द्वारा रोपणीये रोपकर खेत के चारों तरफ तारबंदी करवाना चाहते है, जिससे प्रार्थीगण के खेत में खडी फसल को आवारा पशु, सुअर एवं जंगली जानवर आदि फसल को नुकसान नही पहुंचा सके, लेकिन प्रार्थीगण के उत्तर दिशा के पडौसी खसरा नं. 983/3 अप्रार्थी तीन लगायत आठ है, प्रार्थीगण जब मजदूर लेकर हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा बतायी गयी सीमा पर रोपणीये रोपने हेतु दिनांक 23.06.2020 को शुरू किया तो अप्रार्थी संख्या तीन लगायत आठ ने प्रार्थीगण के खेत की सीमा पर पत्थर (रोपणीय) रोपने से मना कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या तीन लगायत आठ प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के सीमा पर पत्थरगढी करने में विधि विरूद्ध अडचन, रूकावट, विघ्न पैदा कर रहे है, जबकि अप्रार्थी संख्या तीन लगायत आठ को प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर पत्थरगढी करने में किसी भी प्रकार की अडचन, रूकावट पैदा करने का कानूनन अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या तीन लगायत आठ प्रार्थीगण के खेत के उत्तर दिशा के पडौसी होने के कारण तथा अन्य अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत के चारों दिशा के पडौसी होने के कारण तथा अप्रार्थीगण संख्या 20 भूमिधारी होने के कारण अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाये गये है।अत: प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम उस्तरां के खसरा नं. 983/2 रकबा 14–03 बीघा का नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 20 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण के ग्राम उस्तरां के खसरा नं. 983/2 रकबा 14–03 बीघा खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं नाप चौप कर पत्थरगढ़ी हेतु आदेश दिया जाना उचित सम[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक क[illegible]र
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम उस्तरां के खसरा नं. 983/2 रकबा 14-03 बीघा भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु टीम गठित कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावे। सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु आवश्यक संसाधन प्रार्थीगण उपलब्ध करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला-जोधपुर (राज.)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक **22/02/2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला-जोधपुर (राज.)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner